



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3049]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938

No. 3049]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

का. आ. 4165 (अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 और धारा 5ए की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 5 (3) के अंतर्गत 24.12.2016 से 28.02.2017 की अवधि के लिए मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. आर.एम. खर्ब, जिन्होंने बोर्ड से 23.12.2016 से इस्तीफा दे दिया है, के स्थान पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11/8/2013-एडब्ल्यूडी)

रवि एस. प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT , FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2016

**S.O. 4165(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby nominates Director General of Forests & Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as Chairman of the Animal Welfare Board of India for the period from 24.12.2016 to 28.02.2017 under Section 5(3) of the PCA Act, 1960 vice Maj. Gen. (Retd.) Dr. R.M. Kharb, who has resigned from the Board w.e.f. 23.12.2016.

[F. No.11/8/2013-AWD]

RAVI S. PRASAD , Jt. Secy.